14 - 273

भारतीय गैर न्यायिक

सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BR 330998

डिक्लेरेशन आफ ट्रस्ट

स्टाम्प अंकन 750/- रूपये

यह कि मै संस्थापक/चेयरमैन सुनील कुमार पुत्र विजयपाल सिंह नि0 पता मकान–276 घूकना त्यागी मार्केट, गाजियाबाद –201003 उत्तरप्रदेश का निवासी हूँ। मेरी क्रमशः इस वक्त आयु लगभग 31 वर्ष की हो गयी है मै सम्पन्न परिवार से हूँ और हमारी दिली ख्वाहिश है, कि हम शैक्षिक, धार्मिक व सामाजिक तथा जनहित के उपयोगी कार्यो का प्रचार एंव प्रसार शुरु करे। जिसके प्रयोजनो से हमारे परिवार एवं मित्रगणो तथा जनहित को लाभ पहुचे।

1- यह कि ट्रस्ट का नाम बाबा फाउंडेशन ट्रस्ट है और रहेगा। जिसका मुख्य कार्यालय मरियमनगर गेट के सामने घूकना नन्द ग्राम रोड गाजियाबाद पिन 201003 उत्तरप्रदेश में है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 331038

2 ट्रस्ट की स्थापना अंकन 10000/-- दस हजार रूपये से कर रहे है। वर्तमान में इसके अतिरिक्त और कोई अन्य चल/अचल सम्पत्ति ट्रस्ट के पास नही है।

3—

ट्रस्ट के उददेश्य

यह कि उक्त ट्रस्ट जनहित ट्रस्ट है और रहेगा। जिसके मुख्य उददेश्य निम्नलिखित है।

(1) ट्रस्ट के कार्य क्षेत्र में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो के बौद्धिक विकास हेतु शिक्षा के प्रचार एंव प्रसार हेतु मदरसा, स्कूल, विद्यालयों, कालेजो विश्वविद्यालयो की स्थापना कर उनका संचालन करना जैसे प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट विद्यालय, डिग्री कालिज एंव आधुनिक तथा नवीनतम तकनीकी स्तर कर संस्थाए जिनमें अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, अरबी, फारसी तथा कला विज्ञान वाणिज्य, साहित्यक, कृषि, स्वास्थ तथा व्यवसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना या कराना, शिक्षक, शिक्षा हेतु विद्यालयों की स्थापना व संचालन आदि करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BR 331039

(2) युवा वर्ग के लिये स्व रोजगार एवं व्यवसायिक तथा आधुनिक नवीनतम तकनीकी शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन एंव सम्पादन तथा पिछड़े हुये युवाजनो के लिये बौद्धिक/सामाजिक विकास हेतु सेमिनार गोष्ठी आदि केन्द्रो की स्थापना करना एवं संचालन करना।

(3) नियमानुसार चिकित्सा शिविर, चिन्तन शिविर, योगा शिविर, ध्यान केन्द्र आदि शिविर केन्द्रो का आयोजन एंव संचालन तथा स्थापना करना।

(4) आपतकालीन परिस्थितियों जैसे भूकम्प, अग्निकांड, महामारी व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीडितों को राहत सामग्री आदि की सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध कराना।

(5) समाज के पिछडे, अलपसंख्यक, दलित शोषित, एवं अपेक्षित वर्ग व अन्य जातियों के गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगो को व्यवसायिक शिक्षण तथा प्रशिक्षण के कार्य तथा सामाजिक एवं बौद्धिक विकास हेतु प्रोत्साहित करना।

(6) जनहित के कार्यो में सक्रिय भाग लेना जैसे भोजन, वस्त्र, दवाईयॉ और उपयोगी वस्तुओं का समय-समय पर असमर्थ एंव पीडित व्यक्तियों की सहायता के लिये कार्य करना।

(7) जनसंख्या/परिवार कल्याण/पोलियो/एडस/आदि संक्रामक रोगों के प्रति जागरूकता के कार्यक्रमों का संचालन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BR 331040

(8) समय समय पर शैक्षिक/सांस्कृतिक एंव विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओ तथा स्वास्थ शिविरो कैम्पो, विचार गोष्ठियो, सम्मेलनो, कला प्रदर्शनी आदि का आयोजन कराना तथा कार्यक्रमों उददेश्यों को सफल बनाने का भरसक प्रयास करना एंव समाज को जागृत करना।

(9) ग्रामीण आचल में सर्वागीण विकास करना तथा इस विकास कार्यो में सहयोग करना।

(10) बालक व बालिकाओं को शारीरिक सामाजिक नैतिक वैज्ञानिक साहित्यक सांस्कृतिक एंव कलात्मक शिक्षण हेतू प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना कर बौद्धिक एंव आर्थिक उत्थान करना।

(11) ग्रामीणो के स्वास्थ खेलकूद सांस्कृतिक कार्यक्रम तकनीकी ज्ञान प्रसारण एंव धमार्थ कार्यो का संचालन करना।

(12) गाँव व शहर के जीवनयापन की मूलभूत सुविधाओं मे सहयोग करना।

(13) युवको व युवतियों के उज्जवल भविष्य के लिये छात्रावास की आधुनिक व्यवस्था करना।

(14) शिक्षा के उत्थान के लिये तकनीकि प्रयोगशालाओं क्रीडास्थल पुस्तकालयो वाचनालयों छात्रावासों स्वास्थ्य केन्द्रो आदि की स्थापना व प्रबन्ध संचालन करना उदयमान छात्रो को छात्रवृत्ति पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना।

(15) प्रोढ शिक्षा केन्द्र स्वास्थ केन्द्र अनाथआश्रम वृद्धाश्रम कुष्ठआश्रम आदि की स्थापना व संचालन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH R 331041

(16) [illegible] के अधिकारो की रक्षा के लिये कार्य करना, महिला सशक्तिकरण तथा महिलाओं की प्रगति हेतु स्वयं सेवी समूहों, युवा केन्द्रो की स्थापना करना एवं सहयोग प्रदान करना।

(17) राष्ट्रीय एकता एव सामप्रदायिकता सदभाव का आयोजन करना। समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय एव राज्य समाज कल्याण विभाग, सहालकार बोर्ड, कपार्ड, अवार्ड, सिडवी, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, सिपसा सेप इण्डिया, हैल्पज इण्डिया, आक्सफेम इण्डिया, वस्त्र मंत्रालय, महिला कोष विश्व बैंक सूडा विश्व स्वास्थ संगठन अल्पसंख्यक विभाग उत्तर प्रदेश एंव विकलांग कल्याण निदेशालय उत्तरप्रदेश, केन्द्र महिला एंव बाल विकास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार व सहयोग करना।

(18) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक एवं पिछडे वर्ग तथा समाज के सभी वर्गो के जरूरतमंद छात्र / छात्राओ के लिये छात्रवृत्ति व अन्य सहायता समाज कल्याण विभाग व केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त कराना।

(19) समय – समय पर स्वास्थ मेला, ब्लड डोनेशन, नेत्र चिकित्सा, आयुवेदिक, ऐलोपेथिक, होमियोपेथिक आदि के माध्यम से स्वास्थ सुधार कैम्प लगाकर सहयोग देना।

(20) आम जनता के लिए आवास की व्यवस्था कराना तथा सोसाईटी आदि बनाना ।

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
ONE HUNDRED RUPEES
रु. 100
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 331042

(16) जनमानस के अधिकारो की रक्षा के लिये कार्य करना, महिला संशक्तिकरण तथा महिलाओं की प्रगति हेतु स्वयं सेवी समूहों, युवा केन्द्रो की स्थापना करना एवं सहयोग प्रदान करना।

(17) राष्ट्रीय एकता एवं सामप्रदायिकता सद्भाव का आयोजन करना। समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण विभाग, सहालकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, सेड्वी, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, सिपसा सेप इण्डिया, हैल्पज इण्डिया, आक्सफेम इण्डिया, वस्त्र मंत्रालय, महिला कोष विश्व बैंक सूडा विश्व स्वास्थ संगठन अल्पसंख्यक विभाग उत्तर प्रदेश एंव विकलांग कल्याण निदेशालय उत्तरप्रदेश केन्द्र महिला एंव बाल विकास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार व सहयोग करना।

(18) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक एंव पिछडे वर्ग तथा समाज के सभी वर्गो के जरूरतमंद छात्र/छात्राओं के लिय छात्रवृत्ति व अन्य सहायता समाज कल्याण विभाग में केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त कराना।

(19) समय – समय पर स्वास्थ मेला, ब्लड डोनेशन, नेत्र चिकित्सा, आयुवेदिक, ऐलोपेथिक, होमियापेथिक आदि के माध्यम से स्वास्थ सुधार कैम्प लगाकर सहयोग देना।

(20) आम जनता के लिए आवास की व्यवस्था कराना तथा सोसाईटी आदि बनाना।

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 331042

4–

ट्रस्ट के पदाधिकारी

यह कि उपर्युक्त ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति के गठन पर ट्रस्ट के संस्थापक/चेयरमैन द्वारा निम्नलिखित ट्रस्टियों को पांच वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। ये सभी परोपकारी एवं समाजसेवा की भावना से प्रेरित है तथा ट्रस्ट के निर्माण में सहयोग के लिये तैयार है।

क्र0	नाम/पिता/पति का नाम	स्थायी पता	पद
1	सुनील कुमार पुत्र विजयपाल सिंह	पता मकान–276 घूकना त्यागी मार्केट, गाजियाबाद	चेयरमैन
2	विजयपाल सिंह पुत्र छिद्दी सिंह	पता मकान–276 घूकना त्यागी मार्केट, गाजियाबाद	वाइस चेयरमैन
3	संजय सिंह पुत्र विजयपाल सिंह	पता मकान–276 घूकना त्यागी मार्केट, गाजियाबाद	सचिव
4	गीता देवी पत्नी सुनील कुमार	पता मकान–276 घूकना त्यागी मार्केट, गाज़ियाबाद	कोषाध्यक्ष
5	कल्पना देवी पत्नी संजय सिंह	पता मकान–276 घूकना त्यागी मार्केट, गाजियाबाद	उप–सचिव

(1) यह कि उक्त में ट्रस्टियों की कुल संख्या समय–समय पर उक्त ट्रस्टियों द्वारा समयानुसार निर्धारित की जा सकती है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH R 331043

(2) यह कि उक्त ट्रस्ट जनहित के कार्यो के इन्तजामात व देखभाल उपरोक्त स्थायी ट्रस्ट को अंजाम देगी। उक्त ट्रस्ट के इन्तजामात वगैरा करने के लिये ट्रस्ट के चैयरमैन/सचिव एंव कमैटी ने जो रूल्स एवं रेग्युलेशन बनाये हैं अथवा बनायेगे, वे सभी ट्रस्टियों को मान्य होगे।

(3) यह कि उक्त ट्रस्ट जनहित के कार्यो के इन्तजामात व देखभाल व मैनेजमेन्ट अख्यत्यारात में किसी भी दीगर/बाहरी शख्स को किसी भी किस्म का कोई दखल या ऐतराज करने का अधिकार हासिल नहीं होगा।

5 ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र –

(1) जनमानस के सर्वागीण विकास के सभी कार्यो को सम्पूर्ण भारतवर्ष में आवश्यकतानुसार एवं अनुरूप ट्रस्ट शुरू करेगा तथा उस पर ट्रस्ट के नाम का पत्थर लगा दिया जायेगा।

(2) ट्रस्ट के चेयरमैन/सचिव को ट्रस्ट फण्ड की सुरक्षा, ट्रस्ट फण्ड को जमा करने व ट्रस्ट हित के व्यय करने का अधिकार होगा, लेकिन ट्रस्टीगण की बैठक में आय–व्यय कार्यक्रम की योजना स्वीकृत कराया जाना आवश्यक होगा।

6 ट्रस्ट की संचालन समितियां

(1) समस्त भारत वर्ष में ट्रस्ट के संचालन हेतु संरक्षक व ट्रस्टी सदस्य सम्मिलित होगें। इनमें से प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव होगा जिसका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रू. 50

FIFTY RUPEES Rs. 50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AD 340094

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ट्रस्ट सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रदेश, नगरीय, उपनगरीय, जिला, ब्लाक, तहसील स्तर पर समिति उपसमिति का गठन होगा तथा निर्वाचित/मनोनित कमेटी ट्रस्ट की गतिविधियों को संचालित कर सकेगी। जिनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

7

ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य –

(1) <u>संरक्षक</u> :–
ट्रस्ट के संरक्षक विजय पाल सिंह पुत्र श्री छिद्दी सिंह आजीवन रहेंगे ।

(2) <u>चैयरमैन</u> : –

1– ट्रस्ट की प्रबन्धकारीणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना। बैठकों
के लिये दिनांक का अनुमोदन करना।

2– ट्रस्ट के हितार्थ किसी भी ट्रस्टी सदस्य एवं कार्य को स्वीकृति देना।

3– यह कि ट्रस्ट का कोई ट्रस्टी बीमार होने या शारीरिक दुर्बलता होने की दशा में ट्रस्टी के व्यय पर सहायता करने की कार्यवाही चैयरमैन/सचिव यथा स्थिति में अपने स्वः विवेक से निर्णय करेगें।

4— अन्य वे समस्त ऐसे कार्य जो ट्रस्ट के उदेश्यों एवं हितार्थ हो तथा प्रबन्धकारणी समिति एवं उद्देश्यों के विरूद्ध न हो ।

5— ट्रस्ट के उदेश्यों के लिये उपसमिति बनाना एवं उनके कार्यो की देखभाल करना।

6— ट्रस्ट के हितार्थ सहकारी उर्द्धसहकारी, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोड/ आयोग, संस्थाओं व किसी व्यक्ति एवं मंत्रालयों तथा अन्य देश व विदेश की समस्त एजेसियों से सहायता ऋण व अनुदान प्राप्त करने हेतु पत्र व्यवहार करना व स्वयं जाकर सम्पर्क स्थापित करना।

7— ट्रस्ट के उदेश्यों की पूर्ति हेतु चन्दा, अनुदान आदि प्राप्त करना तथा राज्य एवं केन्द्रीय सरकार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के ऋण/अनुदान प्राप्त करना एवं चन्दा दान ऋण अनुदान स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान करना किसी भूमि भवन तथा चल अचल सम्पत्ति को अनुदान में प्राप्त करना, क्रय करना, व्यवस्थित रखना, हस्तातंरण अथवा पटटे पर लेना या अनुज्ञा द्वारा अन्य साधनों से प्राप्त करना।

8— ट्रस्ट की भूमि पर मन्दिर एवं भवनों का निर्माण तथा मरम्मत अथवा पहले से बने भवनों की आवश्यकता परिवर्तन एवं उन्हे बिजली, पानी, टेलीफोन, शौचालय आदि आवश्यक प्रयोगिक सुविधाओं से सुसज्जित कराना।

9— भारत सरकार के समस्त मंत्रालय जैसे मानव संसाधन विकास कल्याण, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य मंत्रालय हस्तशिल्प/हथकरघा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, फूड प्रोसिंग मंत्रालय, नाबार्ड तथा

समस्त मंत्रालयों एवं विभागों से अनुदान प्राप्त कर कार्य करना।

10— केन्द्र सरकार व राज्य सरकार विभागों से अनुदान प्राप्त कर जनहित के कार्यो में लगाना देश व विदेश के सभी संस्थाओं किसी भी बैंक/राष्ट्रीकृत बैंक अथवा अन्तराष्ट्रीकृत बैंकों से ऋण/अनुदान प्राप्त कर कार्य करना।

(3) <u>सचिव</u> :—

1— चेयरमैन द्वारा बुलाई गई बैठक की कार्यवाही लिखना

था उसे

चेयर॰॰।ा से स्वीकार कराना।

2— ट्रस्ट के हिसाब किताब सम्बन्धी समस्त अभिलेखो को तैयार करवाना, सुरक्षित रखना एवं प्रबन्ध कार्यकारणी द्वारा नियुक्ति आडिटर या सी ए द्वारा उसका आडिट करवाना तथा उनकी रिपोर्ट चेयरमैन के सम्मुख प्रस्तुत कर॰।।

3— ट्रस्ट के सदस्यों के त्यागपत्र एवं आवेदन पत्र प्राप्त कर चेयरमैन को सहमति के लिये प्रेषित करना।

4— ट्रस्ट के बाउचरों, अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना एवं उनको आवश्यकता पड़ने पर प्रमाणित करना।

5— चेयर॰।ा से सहायता प्राप्त करने हेतु पत्र व्यवहार करना।

6— ट्रस्ट के कार्य को चलाने हेतु प्रबन्धकारणी समिति द्वारा स्वीकृत नियमों के अधीन चेयरमेन के सहयोग से कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, उनके सेवा नियम बनाना, उनके कार्यो की देखभाल करना, उन पर निर्णय लेकर चेयरमेन के सहयोग से कार्यवाही करना, जैसे नियुक्ति, सेवा, मुक्ति, वेतन वृद्धि आदि।

7— ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चन्दा प्राप्त करना राज्य एंव केन्द्र सरकार उनके विभागों बोर्ड निगमों, बैंकों, खादी ग्राम आयोग, खादी बोर्ड एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, विकास प्राधिकरणों निगमों, एवं विश्व बैंक तथा व्यक्ति विशेष आदि के ऋण एवं अनुदान प्राप्त करना एवं उस आय को धर्मार्थ कार्य के विकास में लगाना।

8— कोष का निर्धारण करना, जमा करना, बाउचिक करना, चैयरमैन/सचिव के साथ समन्वय बैठाते हुये समयानुसार कार्य करना।

9— न्यास के अन्य पदाधिकारियों को चैयरमैन/सचिव द्वारा सौपे गये कार्य को कराना ।

ट्रस्ट की सदस्यता की समाप्ति :-

1— सदस्य द्वारा स्वंय त्याग पत्र दिये जाने पर।

2— किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दण्डित होने पर।

3— ट्रस्ट विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर।

4— यह कि ट्रस्ट प्रबन्ध कमेटी के दरमियान किसी भी किस्म का कोई मतभेद या सदस्यता सम्बन्धी विवाद होगा तो उसको मुशतरफा राय व चेयरमेन/सचिव से तय माना जायेगा।

5— ट्रस्ट विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर चेयरमैन/सचिव किसी भी सदस्य को अथवा समिति/उपसमिति को हटा सकते हैं।

रिक्त स्थान की पूर्ति :-

1— संस्थापक/ चेयरमैन आजीवन रहेगा । मृत्यु होने की दशा में उसके पुत्रों में से रहेगा जिसे वो चाहेगा । बाकी सभी सदस्यों को उनके क्रियाकलाप को देखते हुए चुनाव द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा । संस्थापक/चेयरमैन को छोड़कर सभी का कार्यकाल पांच वर्ष का रहेगा ।

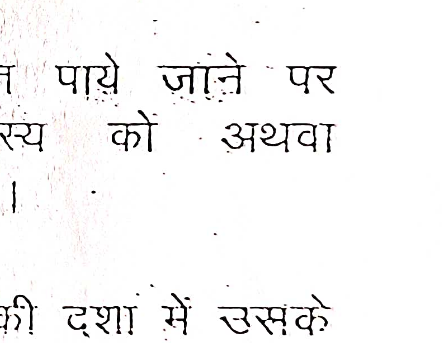

10 <u>नियमों में परिवर्तन / संशोधन</u> : –

1– ट्रस्ट के नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन की कार्यवाही चेयरमैन / सचिव सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा पुष्टि कराकर संशोधित प्रस्ताव का उपनिबंधक महोदय को चेयरमैन / सचिव द्वारा नियमानुसार एक माह के अंदर संशोधन कार्यवाही को पंजीकृत के लिए प्रस्तुत करना होगा ।

2– ट्रस्ट के उद्देश्यों के अन्तर्गत उपनियम बनाने का अधिकार चेयरमेन / सचिव को होगा।

3– संस्थापक / चेयरमैन ट्रस्ट के हितार्थ के लिए समय समय पर नियमों में परिवर्तन / संशोधन कर सकता है।

4– संस्थापक / चेयरमैन समय समय पर सदस्यों की संख्या बढ़ा या घटा सकता है।

11 <u>ट्रस्ट का कोष एवं संचालन</u> :–

1– सदस्यों की सदस्यता शुल्क द्वारा।

2– सरकारी तथा गैर सरकारी सुत्रों के द्वारा चन्दा, अनुदान एवं ऋण द्वारा।

3– संस्था का धन किसी भी बैंक / राष्ट्रीयकृत बैंक / अन्तराष्ट्रीयकृत बैंक / डाकघर में रहेगा। जिसका संचालन चेयरमैन एवं सचिव तथा कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के हस्ताक्षरों द्वारा ही किया जायेगा।

12 <u>कानूनी कार्यवाही</u> :-

ट्रस्ट की समस्त कानूनी कार्यवाही चेयरमैन/ सचिव के पदनाम से होगी ट्रस्ट के मुतालिक किसी भी किस्म के वाद तय करने का गृह जनपद गाजियाबाद के न्यायालय का क्षेत्राधिकार रहेगा।

13 <u>आडिट</u> :-

ट्रस्ट के हिसाब किताब का आडिट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा तथा ट्रस्ट द्वारा नियुक्त आडिटर अथवा सी0ए0 द्वारा आडिट मान्य होगा, ट्रस्टी सभा आर्थिक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की समाप्ति के तीन माह के अन्दर अवश्य बुलायी जायेगी।

14 <u>ट्रस्ट के अभिलेख</u> :-

सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर कैश बुक, लेजर, एजेण्डा, / रसीदबुक, स्टाक रजिस्टर, डाक पंजिका, आदि को आवश्यकता के अनुसार ही रखे जायेगे।

15 <u>ट्रस्ट की सम्पत्ति</u> :-

यह कि चेयरमैन/सचिव की लिखित राय से ट्रस्ट की जायदाद क्रय एवं विक्रय हो सकेगी।

16 विघटन अथवा विलीयकरण :--

1-- ट्रस्ट का विघटन अथवा विलयीकरण। ट्रस्ट की समस्त सम्पत्तियों के निस्तारण तथा समस्त देनदारी की कार्यवाही उपरान्त ही विघटन अथवा विलयीकरण किया जा सकता है, विघटन एवं विलयीकरण की सूचना सार्वजनिक रूप से करनी अनिवार्य होगी।

2-- यह कि एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होगें तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्टीयों के लिखित अनुमोदन के पश्चात ही ट्रस्ट का विघटन न्यास एक्ट के अनुसार कर सकते हैं तथा विघटन की सूचना सार्वजनिक करनी अनिवार्य होगी।

17 ट्रस्ट की चल/अचल सम्पत्ति को बंधक रख कर ट्रस्ट के उदेश्यों के लिये उधार/ऋण/बैंक गारण्टी आदि प्रबन्ध समिति के निर्णयनुसार लिया जा सकता है जिस पर चेयरमैन/सचिव के हस्ताक्षर मान्य होगें।

18 यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चन्दा, ऋण, अनुदान, भूमि, भवन, चल अचल सम्पत्ति आदि विभिन्न श्रोत जैसे सरकारी / गैरसरकारी / सक्षम–विभाग / बैंक आदि से सम्पर्क करने हेतू चेयरमैन / सचिव ही अधिकृत होगें तथा प्राप्त पूंजी ट्रस्ट हित में ही लगायी जायेगी।

19 कोई भी ट्रस्टी ऐसा कार्य नही करेगा जिससे ट्रस्ट की बदनामी या ट्रस्ट की जायदाद को कोई नुकसान पहुँचे।

20 यदि ट्रस्ट के किसी संस्थान को बन्द करना है अथवा ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय / नीलामी करना है तो सभी प्रकार की देनदारी उपरान्त ही उसका निर्णय सर्वसम्मति से स्थायी प्रबन्धसमिति के द्वारा ही होगा तथा उसकी सूचना किसी भी समाचार पत्रों में सार्वजनिक करनी अनिवार्य होगी।

21 आपातकालीन स्थिति के लिए ट्रस्ट ट्रस्टीगण सदस्यों तथा उसके परिवार के लिये एक आपातकालीन कोष तैयार करेगा, जिसमें कोई भी सदस्य स्वेच्छा से अपने पारिश्रमिक में से कुछ धन उसमें जमा करा सकता हैं।

22 यह कि ट्रस्ट की डीड चैयरमैन द्वारा पंजीकृत करायी जा रही हैं।

संजय [illegible] श्री विजयपाल सिंह
म. 276 [illegible] गाजियाबाद

विनोद कुमार
एडवोकेट
रजि. न. UP [illegible]
चै०न० सिविल [illegible]
गाजियाबाद

सुनील कुमार श्री [illegible]पाल सिंह
S/184 [illegible] नगर गाजियाबाद

विनोद कुमार
एडवोकेट
रजि. न. UP [illegible]08
चै०न० सिविल कोर्ट
गाजियाबाद

Sunil Kumar

स्थान : तहसील व जनपद गाजियाबाद।
दिनांक –

सुनील कुमार
संस्थापक / [illegible]

गवाह हस्ताक्षर

1–

2–

सत्य प्रतिलिपि
अतः डिकलरेशन आफ ट्रस्ट लिख दिया गया है, प्रमाणित तथा उपयोगी हो।
इतिरचियता – विनोद कुमार, एडवोकेट

आज दिनांक 31/07/2013 को

बही सं 4 जिल्द सं 808

पृष्ठ सं 285 से 318 पर कमांक 275

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक (तृतीय)
गाजियाबाद
31/7/2013